आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

रैयती अपील वाद सं0–10/2018–19

(हीरा नाथ सिंह वगैरह बनाम राज्य)

आदेश

08/08/18

यह अपील बकास्त रैयती भूमि विविध वाद सं0– 20/16–17 / 01/16–17 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के द्वारा दिनांक–28.05.16 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदकगण का कहना है कि फतुहाँ अंचलान्तर्गत मौजा–सैदनपुर, थाना नं0–70, खाता नं0–238, खेसरा सं0–1500, रकवा–27 डी0 एवं खेसरा सं0–1503, रकवा–18 डी0 भूमि बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0–78 में अर्जित की गयी है। प्रश्नगत खेसरे सर्वे खतियान में बकास्त मालिक के रूप में दर्ज है। आवेदकगण के पिता के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की खरीद खतियानी रैयत के वंशज से की गयी थी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के द्वारा बिना उनका पक्ष सुने वाद सं0– 20/16–17 / 01/16–17 के अन्तर्गत दिनांक–28.05.16 को प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी घोषित कर दिया गया।

वाद सं0– 20/16–17 / 01/16–17 में दिनांक–28.05.16 को पारित आदेश का अवलोकन किया। आदेश से स्पष्ट है कि आवदेकगण को नोटिस निर्गत नहीं की गयी है। इनका पक्ष सुने बिना एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी घोषित कर दिया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है।

अतः वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए आदेश दिया जाता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी आवेदकगण का पक्ष सुनकर पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

8/8/18

(वजैन उद्दीन अन्सारी)
अपर समाहर्त्ता,
पटना।

8/8/18

(वजैन उद्दीन अन्सारी)
अपर समाहर्त्ता,
पटना।

ज्ञापक / निबन्ध
प्रतिलिपि– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आदेश के अनुरूप कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अपर समाहर्त्ता पटना